

उनवान :- चमेली देवी vs हरिराम

31.10.17

आज पत्रावली पेश हुई। बकील वाडीगण उपरोक्त बकील वाडीगण ने एक वाद प्र. क्र अन्तर्गत धारा 212 RTI (C) का पेश किया। वादी ने एक प्र. क्र पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख. नं. 222/0.03, 223/0.25, 226/0.30, 227/0.25, 252/0.33, 253/0.30, 271/0.75, 274/0.52, 349/0.57, 350/0.51, 352/0.53, 352/0.96/0.25, 362/0.60 किता 13 रकबा 5.99 हे. में से 1/5 भाग दर 5/6 भाग वाले ग्राम पुर्जा तहसील मामावेडा जिला कन्नड़ के बकील वाडीगण के पति। पिता श्री हरिराम अमल प्रतिवादी सं. 1 रिपोर्ट काउन्सिल (कानून) हैं। विवादित आराजी के बकील वाडीगण के पति। पिता श्री हरिराम अमल प्रतिवादी ने विवादित आराजी को राजस्व लेखने-ट विभाग के कर्मचारी। अधिकारी ने मिलान कर विभाग को रा बकाया किता- किता कहेले ही अपने नाम पर दर करली है। प्रतिवादी के नाम लाभ एवं वाडीगण श्री विवादित आराजी पर काबिल (एम. काउन्सिल) करते चले आ रहे हैं। अमल प्रतिवादी डीगर लोगों के दबाव में उत्तम रा बकाये में है जिस कारण से अमल प्रतिवादी विवादित आराजी पर बकील वाडीगण के कहेले भारत में कथा चलने व डीगर लोगों की बेचारा बने की पुष्टि में ही अतः प्रतिवादी का नापेंकला दावा प्रतिवादी को जरिए अर्थात् निवेदन एवं पाठन किता जायति- बज्जे काउन्सिल में कथा ना दावे

जबरन बेदखल ना करे। रहन बंध नहीं करे।  
 वकील वादीगण 350। प्रतिवादी की बख्त से बख्त  
 350 गरी 350। पूर्व से एक बर्ष बख्त हुनी गयी।  
 वादीगण की एक बर्ष बख्त हुनी गई। वादीगण  
 की आराजी हटैक सम्पत्ति है। राजाडीवाँड के  
 वादीगण के प्रति। पिता का गारडर्न/वाँड है  
 प्रतिवादीगण विदुष नाते की पुत्रपुत्र के  
 से है।

वादीगण से पूर्व सम्पत्ति के हितके विहित होये।  
 वादीगण ने नजीर (R.D) 2005 पेज 349  
 पेश की वादीगण वकील की बख्त पर 1000 दिना  
 प्रस्तुत नजीर का भी अवलोकन दिना। यदि  
 प्रतिवादी उगा इत लभ्य शक्ति का विदुष  
 कर दिना जाय तो वादी का वाड निरुपल  
 हो जायेगा। अतः प्रतिवादीगण को लापेक्षा दखना  
 तक अफर्द विवेधाज्ञा के पाकडे दिना जाय उदिना  
 अनुमते है।

अतः प्रतिवादी को लापेक्षा नार अफर्द विवेधाज्ञा  
 के पाकडे दिना जाय है दि आरपी क्र. 0/430  
 10-25, 700/0-25- वाके उभय भूजि बरधाम  
 नामाके। पिता अन्व के वादीगण के हितके  
 की बख्त वादीगण के अजाहस्त गरी बख्त तथा  
 देते न बंध गरी करे।

पत्रावली फौजदारी द्वारा अन्व के 44/20

सहायक कलक्टर  
 अलावर (राज०)